

फर्द अहकाम

सुनारुण

बनाम रामप्रीत

अलय

मं. 338/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>वकील वादी एवं वादी को उचित रूप से सूचना देकर सुनारुण समक्ष लम्बा समाप्त पत्र पुराने कागज, लगभग 100 पन्ने वादी वकील एवं वादी उपस्थित नहीं होते। कानून वकील वादी एवं वादी की अनुपस्थिति में वादी को वाद को विचार 9 किमान 4 CPC के तहत अदालत हाजरी करके पेशी में लाया जा सकता है। परवाणी के तहत सुनारुण के तहत अदालत हाजरी करके वाद को विचार 9 किमान 4 CPC के तहत अदालत हाजरी करके पेशी में लाया जा सकता है।</p>	

सहायक जज/अधीक्षक जज/अधीक्षक जज